चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

CWP-2049-2000 (O&M)
निर्णय की तिथि: **19 मई, 2022**

मुकेश नाथ ...याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ...प्रतिवादी

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से कोई नहीं।

श्री आर.डी. शर्मा, डीएजी, हरियाणा।

******

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा, (मौखिक)

याचिका वर्ष 2000 में दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के वेतन को 5000-7850 रुपये प्रति माह के वेतनमान में पुनर्निर्धारित करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की गई थी।

2. याचिका 15.01.2002 को स्वीकार की गई।

3. सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि समय की बर्बादी और इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के 21 साल से अधिक समय तक लंबित रहने के कारण, यह निष्फल हो गई है और/या याचिकाकर्ता ने इसे आगे बढ़ाने में रुचि खो दी है।

4. जैसा भी हो, रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि यदि कोई कार्रवाई का कारण अभी भी बना हुआ है, तो वह उचित आवेदन दायर कर सकता है।

(अरुण मोंगा)
न्यायाधीश

19 मई, 2022
वंदना

क्या बोलना/तर्क देना: हाँ/नहीं

क्या रिपोर्ट करने योग्य: हाँ/नहीं